स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 15 / 04 / 2019

File No. Press Clipping/2/2019/Dist.Kandhmal(Odisha)/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
गृह विभाग,
सचिवालय मार्ग, यूनिट – 2,
भूवनेश्वर, उड़ीसा

2. सचिव,
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास,
अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उड़ीसा सचिवालय,
भूवनेश्वर – 751001
उड़ीसा

विषयः दिनांक 27.02.2019 का दोपहर 12.30 बजे डॉ. नन्द कुमार साय,, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एचआरपीसी एवं आयुक्त सह सचिव, अनुसूचित जनजाति'जाति विकास विभाग ओडिशा के के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 27.02.2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट **इस आयोग को 15 दिनों** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

15/4/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/2/2019/Dist. Kandhmal(Odisha)/RU - III)

ओडिशा के कंधमाल जिले में नाबालिग छात्रा द्वारा छात्रावास के बाथरूम में शिशु को जन्म देने संबंधी समाचार दिनांक 13.01.2019 को प्रकाशित होने के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 27.02.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगीबाड़ी में नाबालिग छात्रा द्वारा छात्रावास के बाथरूम में शिशु को जन्म देने संबंधी समाचार दिनांक 13.01.2019 को अखबार में प्रकाशित हुआ था। जिसके बाद आयोग ने गृह सचिव और सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा शासन को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी।
2. दिनांक 19.01.2019 को ओडिशा पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी गई जिसमें बताया गया कि 13 वर्षीय अनुसूचित जनजाति वर्ग की पीड़िता सरकारी उच्च विद्यालय ग्रीनबाड़ी, थाना- दारिंगीबाड़ी, जिला- कंधमाल में कक्षा आठवीं की छात्रा है। विद्यालय आवासीय है, छात्रा विद्यालय के छात्रावास में रहती थी और छुट्टियों के दौरान अपने पैतृक घर जाती थी।

   अपने पैतृक घर में रहने के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही एक लड़का श्रवण प्रधान (23), पुत्र श्री दाहा प्रधान, गांव- टिकरमाहा, थाना-दारिंगीबाड़ी, जिला- कंधमाल, उसके संपर्क में आया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए। छुट्टी से वापस लौटने के बाद छात्रा अपनी पढ़ाई सामान्य तरीके से कर रही थी। इस दौरान छात्रा गर्भवती हो गई इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों, दोस्तों और विद्यालय के एएनएम सहित किसी से नहीं किया। वह कई बार बीमार भी हुई मेडिकल अधिकारी से सामान्य दवाएं भी ली लेकिन मेडिकल अधिकारी उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाएं। दशहरा की छुट्टियों तक उसकी

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्थिति में बदलाव आने लगा, वह सबसे अलग-थलग रहने लगी साथ ही अपनी स्थिति को छिपाने के लिए सर्दी के कपड़े पहनने लगी।

दिनांक 12.01.2019 को आधी रात में एक शिशु को जन्म दिया, सुबह 4.00 बजे अन्य छात्राओं ने बाथरूम में नवजात को देखा जिसके बाद छात्रावास की परिचारिका को सूचित किया। जिसके द्वारा प्रधान शिक्षिका को बुलाया गया। दिनांक 13.01.2019 को पूर्वाहन 7.20 में थाना- दार्रिंगीबाड़ी को मामले की जानकारी मिली। जिसके बाद पुलिस द्वारा छात्रा व नवजात को बालीगुडा अस्पताल भिजवाया गया। एसएनसीयू में रखने के बाद भी दिनांक 13.01.2019 को रात 11.00 बजे बच्चे की मौत हो गई।

पुलिस जांच में पाया गया कि पीड़िता के साथ ही दोषी भी अनुसूचित जनजाति (कांधा) समुदाय से आता है जिसके कारण मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा पीड़िता के पुनर्वास के लिए ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास, उसके पिता विश्वनाथ प्रधान को 300 रुपये प्रति माह पेंशन, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति माह 30 किलो अनाज, मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा, पीड़िता के पिता को कालिया योजना के तहत 10,000 रुपये, बीजू ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतिकरण तथा पीड़िता के माता को जिला रेड क्रॉस फंड द्वारा 50,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर गृह सचिव और सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा शासन के साथ सिटिंग प्रस्तावित की गई।

3. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 27 फरवरी 2019 को दोपहर 12.30 बजे बैठक निर्धारित की गई। जिसके संबंध में गृह सचिव और सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा शासन दिनांक 20.02.2019 नोटिस भेजी गई।
4. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2019 को दोपहर 12.30 बजे निर्धारित बैठक में अनुसूचित जनजाति/जाति विकास विभाग ओडिशा शासन से आयुक्त सह सचिव श्री आर. रघु प्रसाद और गृह विभाग, ओडिशा शासन से श्री सिद्धार्थ नर्वाण, अतिरिक्त महानिदेशक, एचआरपीसी उपस्थित हुए। बैठक में अधिकारियों द्वारा विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
5. आयोग द्वारा ओडिशा शासन के अधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, अनुसूचित जनजाति/जाति विकास के आयुक्त सह सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति/जाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

द्वारा आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिसमें करीब 7 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 4 लाख छात्राएं है क्योंकि सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार द्वारा विद्यार्थियों को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। समय-समय पर विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए 3036 एएनएम को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष छात्राओं के गर्भवती होने के 7-10 मामले आते हैं। जनजाति वर्ग में जल्द शादी होने के चलन के कारण पहले यह आंकड़ा अधिक था लेकिन अब प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था और जागरूकता के कारण काफी कमी आई है।

6. घटना के बाद छात्रा को पुलिस द्वारा बालीगुडा अस्पताल भिजवाया गया। एसएनसीयू में रखने के बाद भी दिनांक 13.01.2019 को रात 11.00 बजे नवजात की मौत हो गई। लड़की का बयान दर्ज किया गया। छात्रा और उक्त युवक दोनों अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। छात्रा के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
7. आयोग द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि जब छात्राओं की नियमित स्वास्थ्य जांच होती है तो इस मामले की जानकारी क्यों नहीं हुई। छात्रावास में क्या महिला वार्डेन की नियुक्ति नहीं की गई है। क्या एएनएम द्वारा सभी छात्राओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती है।
8. अधिकारियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि विद्यालय में छात्राओं की नियमित जांच की जाती है। उन्हें कोई दवा देने पर उसकी डायरी रखी जाती है। उक्त छात्रा की भी नियमित जांच की गई थी लेकिन उस समय इसका पता नहीं चल सका। छात्रा के द्वारा बुखार और अन्य सामान्य दवाइयां भी ली गई थी। ठंड का मौसम आने के कारण छात्रा द्वारा मोटे कपड़े पहने जाने के कारण शारीरिक बदलाव का पता नहीं चल पाया। घटना के बाद छात्रावास के 2 मेट्रोन्स और प्रधानाध्यापिका को बर्खास्त कर दिया गया।
9. आयोग द्वारा इस तरह की घटनाओं से राज्य में लड़कियों की शिक्षा को लेकर चिंता जताई गई। इससे पहले भी राज्य में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। कंधमाल जिले का नाम पहले भी इस तरह के घटनाओं में शामिल रहा हैं।
10. अनुसूचित जनजाति/जाति विकास के आयुक्त सह सचिव ने बताया कि वर्तमान में इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। सभी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करने के साथ ही पोस्टर व अन्य माध्यमों से छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। पढ़ाई के साथ ही खेल व अन्य व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

11. आयोग द्वारा मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षणोंपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की गई-

- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करें और आयोग के समक्ष घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- छात्रा की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराएं और इस संबंध में आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- अनुसूचित जनजाति के लिए बने आवासीय विद्यालयों में डॉक्टर व एएनएम के द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जाए। वर्तमान समय में की जा रही स्वास्थ्य जांच की आवृत्ति को बढ़ाकर प्रत्येक दो माह पर स्वास्थ्य जांच की जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। छात्राओं के उचित विकास के लिए आयरन और विटामिन की अतिरिक्त पोषण सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही डॉक्टर के निर्देश के अनुसार निश्चित समय अंतराल पर कृमिनाशक भी दिए जाने चाहिए।
- कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से 15 दिनों के अंदर आयोग को अवगत कराएं।

12.04.'019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/2/2019/Dist. Kandhmal(Odisha)/RU - III)

ओडिशा के कंधमाल जिले में नाबालिग छात्रा द्वारा छात्रावास के बाथरूम में शिशु को जन्म देने संबंधी समाचार दिनांक 13.01.2019 को प्रकाशित होने के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष महोदय
  2. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष महोदया
  3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
  4. श्रीमती माया चिंतामण इवनाते माननीय सदस्य
  5. श्री ए. के सिंह, सचिव
  6. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
  7. डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  8. श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **गृह विभाग, ओडिशा शासन**
  1. श्री सिद्धार्थ नर्वाण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एचआरपीसी
- **अनुसूचित जनजाति/जाति विकास विभाग, ओडिशा शासन**
  1. श्री आर. रघु प्रसाद, आयुक्त सह सचिव